राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/भू.अ./एलआरसी/प-51/02/9749-9780 दिनांक 7-9-02

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान ।

विषय:- कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी की नकले जारी करने एवं कम्प्यूटर कक्ष के नामकरण के संबंध में ।

प्रसंग :- राजस्व (ग्रुप-2) विभाग का पत्रांक प-7(34)राज/2/02/ दिनांक 13-8-02

::::::

महोदय,

विषयान्तर्गत आपका ध्यान राजस्व सचिव महोदय के प्रासंगिक पत्र की ओर आकर्षित है । जिसके द्वारा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु कार्यक्रम को " अपना खाता " नाम से प्रचलित करने एवं तहसील केन्द्र जहां से नकले जारी करने व अदिनांक आदि कार्य किया जा रहा है उसे " खाता केन्द्र " नाम दिया जाकर नाम पट्टिका स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये है ।

कृपया इस संबंध में कार्यवाही तुरन्त अमल में लाई जावें । साथ ही योजना का व्यापक प्रचार भी किया जावें ताकि आमजन को इसकी जानकारी हो सकें व योजना का लाभ प्राप्त हो सकें । कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं मण्डल को अवगत कराने का श्रम करें ।

भवदीय,

निबंधक 7/9
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक: राम/ 9781-9782
दिनांक: 7-9-2002

प्रतिलिपि:-

1- तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., कमरा नं. 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर ।

2- ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राज., अजमेर ।

निबंधक
राजस्व मण्डल राज., अजमेर